24.07.23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी, अभ्यर्थीगण एवं पैरोकार राज उपस्थित। बहस पर सुन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर अर्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर अलग किया गया। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई)
RAS